

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 2214

दिनांक - 22/10/21

रजिस्ट्रार  
समस्त विश्वविद्यालय  
राजस्थान


विषय- महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर एफिलेशन/कोर्स मैपिंग अनुमोदन बाबत।

संदर्भ- विभाग का पत्रांक-एफ23 लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/ 2020-21/  
1984-86 दिनांक-28.10.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2020-21 में एफिलेशन/कोर्स मैपिंग उपरान्त संबंधित विश्वविद्यालयों से अनुमोदन चाहा गया है। जिससे की छात्रवृत्ति पोर्टल (<http://scholarship.rajasthan.gov.in/>) पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित हो सके तथा विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन किया जा सके। पूर्व में भी संदर्भित पत्र द्वारा आपको लिखा गया था।

अतः विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि वे जिन महाविद्यालयों द्वारा एफिलेशन/कोर्स मैपिंग कर अनुमोदन चाहा गया है उनका शीघ्रताशीघ्र अनुमोदन की कार्यवाही करें। जिससे कि विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करावें।



(संदेश नायक, आई.ए.एस.)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 2215-16

दिनांक : 22/10/21

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
2. प्रभारी, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



(एच.आर. पवार)

वित्तीय सलाहकार